



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी- 2421

दिनांक 22/07/22

मैसर्स रॉयलक्स ग्रीनअर्थ एलएलपी जरिये पार्टनर,  
श्री महावीर गुर्जर पुत्र श्री गोपीचन्द गुर्जर,  
पता:-गुर्जरो का मोहल्ला, दौलतपुरा,  
जयपुर, राजस्थान-302012।

विषय :- ग्राम मुणियापुरोहितान तह. जयपुर (जयपुर) के ख.नं. 234/4, 235/4, 236/4 व 231/5 किता 4 रकबा 3.7515 हैक्ट. एवं ग्राम नन्दगाव तह. जयपुर (जयपुर) के ख.नं. 82, 241/95, 96, 97, 97/140, 98/141, 219/98, व 220/98 किता 8 रकबा 6.485 हैक्ट. कुल किता 12 कुल रकबा 10.00 हैक्टयर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना "नन्दगांव" का मानचित्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत के क्रम में आप द्वारा प्रस्तुत ग्राम मुणियापुरोहितान तह. जयपुर (जयपुर) के ख.नं. 234/4, 235/4, 236/4 व 231/5 किता 4 रकबा 3.7515 हैक्ट. एवं ग्राम नन्दगाव तह. जयपुर (जयपुर) के ख.नं. 82, 241/95, 96, 97, 97/140, 98/141, 219/98, व 220/98 किता 8 रकबा 6.485 हैक्ट. कुल किता 12 कुल रकबा 10.00 हैक्टयर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना "नन्दगांव" का मानचित्र अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 320वीं बैठक दिनांक 01.07.2022 को किया चुका है। जिन भूखण्डों को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे जविप्रा के पक्ष में रहन रखा गया है, उन भूखण्डों का विक्रय विकासकर्ता द्वारा उक्त सम्पूर्ण योजना के आन्तरिक विकासकार्य पूर्ण होने पर तथा रहन मुक्त कराने पर ही किया जावेगा। अनुमोदित मानचित्र की प्रति पत्र के साथ सलंगन है।

सलंगन :- उपरोक्तानुसार

उपायुक्त, जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर



# PROPOSED LAY OUT PLAN OF "NANDGAV"


IN KHASRA NO.- 82, 241/95, 96, 97, 97/140, 98/141, 219/98, 220/98.  
AT VILLAGE :- NANDGAV, TEH.- JAIPUR & JAIPUR.  
IN KHASRA NO.- 234/4, 235/4, 236/4, 231/5.  
AT VILLAGE :- MUNDIYA PUROHITAN, TEH.- JAIPUR & JAIPUR.



1145  
B  
18.8.22



ज.वि.प्रा.



दिशा सूचक  
भारत विकास योजना 2022 के अनुसार प्र. उपखण्ड  
आवकनीय भूखण्डों की निर्णय विधि :-  
1. कुल आवकनीय भूखण्ड = 360  
2. कुल एक्स. सुखण्ड = 4-48  
3. कुल ला. सुखण्ड = 1-48  
4. वाणिज्य सुखण्ड = 0-03  
5. सुरंग सुखण्ड = 5-50

### AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	47067.57	47.07 %
2.	EWS & LIG	5189.92	05.19 %
3.	COMMERCIAL	1365.69	01.37 %
4.	RETAIL	600.00	0.60 %
<b>TOTAL = 1 TO 4</b>		<b>54223.18</b>	<b>54.23 %</b>
5.	PARK	5002.17	05.00 %
6.	FACILITY	6033.52	06.03 %
7.	PUBLIC UTILITY	3970.54	03.97 %
8.	GAS LINE	2849.95	02.85 %
9.	S.W.M.	50.05	0.05 %
10.	MOBILE TOWER	40.04	0.04 %
11.	PU (TOILET)	10.02	0.01 %
12.	EXI. RD 18 M.	770.25	0.77 %
13.	EXI. RD 30 M.	2839.93	02.84 %
14.	ROAD	24210.35	24.21 %
<b>TOTAL = 5 TO 14</b>		<b>45776.82</b>	<b>45.77 %</b>
<b>SCHEME AREA</b>		<b>100000.00</b>	<b>100.00 %</b>
			<b>10.00 HECT.</b>

योजना की भूमी की समुचित अधिनियम की धारा 80 ए की कार्यवाही एवं नोके पर भूमि का प्रमाणिकरण हेतु द्वारा किया गया। योजना की भूमी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

**Rakesh**  
**CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.**  
301, Third Floor Prism Tower,  
Front of Police Head Quarters,  
Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR  
Mobile No. 9829045031

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोजिशन के अमीन द्वारा किया गया है।

अमीन  
जोन-12

- नोट**
- कार्पर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
  - आवकनीय भूमि की 80ए की कार्यवाही दिनांक 21.06.2022 को हो चुकी है।
  - योजना की भूमि में रजि.अधिनियम की धारा 80ए की कार्यवाही प्राथमिक अतिरिक्त द्वारा एवं नोके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
  - टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एजेंड में आवेक द्वारा भूखण्ड संख्या 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 71, 72, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 कुल भूखण्ड 43 कुल क्षेत्रफल 682128 वर्गमीटर है, जो जोड़िया में अनुभूतियोजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर वा विकास शुल्क जमा करकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जायेगा।
  - योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 320 वीं बैठक दिनांक 01.07.2022 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुमतिना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
  - योजना का यू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत यू-1 (आवासीय) है।
  - योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
  - बीपीसी (एल.पी.) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर एवं सैटबैक जडिगा (अजयपुर रोजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

उप.अमीन नियोजक  
जोन-12

तहसीलदार  
जोन-12

उप.अमीन  
जोन-12

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक  
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक  
बी.पी.सी. (एल.पी.)

साथक नगर नियोजक  
जयपुर

जि.साथक नगर नियोजक  
विकास

वरिष्ठ नगर नियोजक  
प्राधिकरण

CONSULTANT :-  
**Cad Max PROJECTS (P) LTD.**